

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-21.02.2024

सेवा में,

RAMCHANDRA CHANDRAVANSI WELFARE TRUST,  
AT-NAWADIH KALA, BISHRAMPUR, PS-BISHRAMPUR, PALAMU.

विषय:-

LAXMI CHANDRAVANSI HOMEOPATHIC MEDICAL COLLEGE HOSPITAL &  
RESEARCH CENTER, C/O-ISHWAR SAGAR CHANDRAVANSI, AT-NAWADIH  
KALA, BISHRAMPUR, PALAMU भवन का अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में संबंधित भवन में कराये गये अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, जालटनगंज से कराई गई। उनके ज्ञापक-75 दिनांक-20.02.2024 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है कि :-

1. Set-Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखेंगे।
2. भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा। Travel Distance को संभारित रखा जायेगा।
3. किसी भी लॉबी को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित नहीं किया जाय।
4. वायरिंग व्यवस्था की जाँच भी ससमय कराई जाय। खासकर False Ceiling के उपर वायरिंग व्यवस्था में होनेवाली किसी टूट-फूट की मरम्मत अविलम्ब कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संभारण सुनिश्चित किया जाय। संभारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
6. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लेंगे।
7. अपातकाल की अवस्था में Escape Routes के साथ-साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का जो Display किया गया है, उसे संभारित रखा जाय।
8. भवन में काम करने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीकों की जानकारी का रहना आवश्यक है एवं समय-समय पर Hose Reel Hose एवं Hydrant के पानी को flush-out किये जाने की व्यवस्था की जाय।
9. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रिल में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
10. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संभारित रखा जाय।
11. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय संभारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
12. Smoke Detectors को वैकल्पिक पावर से हमेशा जोड़कर रखा जाय ताकि किसी भी परिस्थिति में उसका स्वचालन बाधित न हो सके।
13. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
14. किसी किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञापित रह करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
15. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्टले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
16. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र दिनांक-20.02.2025 तक के लिये मान्य है।

**JAGJEEWAN**  
**RAM**

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM  
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND  
DISASTER MANAGEMENT, postalCode=834002, =Ranchi, st=Jharkhand,  
street=STATE FIRE OFFICE,  
2.5.4.20=fdsbdb31a8b816e885a078b44a26d1ddd0c8bf502a1e36320b1b  
2d89b32d1fa2b,  
serialNumber=19585870ee67d8af143b636d6f0c97a7b0c8a01d90f3ec025  
de5383159f431a70, email=jagjivnram83148@gmail.com,  
cn=JAGJEEWAN RAM  
Date: 2024.02.21 17:35:40 +05'30'

(जगजीवन राम)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी  
झारखण्ड, राँची।